# प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था : एक समीक्षात्मक अध्ययन

**धर्मेन्द्र जैसवारा***
**डॉ0 छत्रसाल सिंह****

**सारांश** :–मानव जीवन में शिक्षा एक अनिवार्य पहलू है। सभ्य मानव का शिक्षा से अटूट सम्बन्ध रहा है। शिक्षा और मानव का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का सम्बन्ध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा–व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है। इस प्रकार हम शिक्षा एवं मानव को अविछिन्न रूप से गुँथा हुआ पाते हैं। वास्तव में शिक्षा मानव जीवन को प्रकाश पुंज से उद्दीपन कर उत्कृष्ट जीवन की कला सिखाती है। यह मानव को उसके स्वधर्मानुकूल दायित्वों को जागृत कर नव विकसित मानवीय मूल्यों एवं चारित्रिक व्यवहार पर खरा उतरने, कर्तव्यों के परिपालन योग्य बनाने और मानव के सर्वांगीण विकास में मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा भावनात्मक गुणों का विकास कर समाज और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करने का कार्य करती है।

**संकेत शब्द : सर्वशिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का महत्व/प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं।**

**प्रस्तावना** :–शिक्षा हमेशा से ही सभ्यता के विकास का आधार रही है। प्रत्येक समाज ने अपनी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं को प्रश्रय दिया है। शिक्षा से समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। आज हमारा समाज एवं राष्ट्र ऐसी स्थिति में पदार्पण कर चुका है। जहां संसार में होने वाले आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास का लाभ समाज का राष्ट्र को जन–जन तक पहुंचाना आवश्यक है।

शिक्षा समाज की उन्नति के लिए एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। शिक्षा ऐसा प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे वह

***शोध छात्र, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पी0जी0 कॉलेज, बाराबंकी, उ0प्र0**

****शोध निर्देशक जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल पी0जी0 कॉलेज, बाराबंकी, उ0प्र0**



समाज का एक उत्तरदायी घटक तथा राष्ट्र का प्रखर चरित्रवान नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रेरित हो जाता है।

शिक्षा के ही द्वारा बालक का सर्वागीण विकास सम्भव होता है। अतः यह किसी भी देश का मूलमंत्र है। यह शिक्षा ही तो हैं, जो मानव और पशु में स्पष्ट भेद करती हुई अच्छा जीवन जीने की कला सीखाती हैं।–जॉन डीवी

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सर्वशिक्षा अभियान, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6–14 साल तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

संविधान की धारा 38 से 51 तक दिये गये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त देश में एक लोक–कल्याणकारी राज्य के विकास की कल्पना को साकार करने पर आधारित है। ये सभी प्रकार की समस्याओं को हलकर आम जनता के कल्याण के लिये निर्देश देते है। इन्हीं प्रेरित निर्देशित तत्वों के अन्तर्गत संविधान संविधान की धारा 45 के अनुसार ''राज्य अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्षो के अन्तर्गत देश के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालक, बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगा। निश्चय ही यह एक श्रेष्ठ आदर्श व्यवस्था की गई जो राज्य के प्रगति का आधार है।[1] इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनसंख्या को, अपनी भौतिक सुविधा एवं सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार शिक्षा के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। भारत ने भी अपनी विशाल जनसंख्या एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का संकल्प किया गया था। यह संकल्प प्राथमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा न केवल प्रत्येक बालक–बालिका और देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार है बल्कि उस अधिकार की रक्षा और उस अधिकार के अनुरूप सुविधा देना समाज एवं सरकार का दायित्व भी है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह संकल्प भी है और सहयोग भी। समाज, सरकार, शिक्षक एक साक्षर और शिक्षक प्रदेश के रूप में प्रवेश कर सकता हैं। अपने बच्चों का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण हैं।[2] प्राथमिक शिखा को भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा ही बच्चे के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण होती है।

जबकि देश के किसी भी प्रदेश सरकार ने केन्द्र की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में आजादी के बाद से अशिक्षा रूपी अंधकार को मिटाने के लिए अनेक नीतियां एवं शैक्षिक योजनाएं चलाई। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अरबों, खरबों रूपये खर्च किये गये। इन महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाओं के चलते जिस स्तर की सफलता मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिल पायी। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विचारणीय है। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक के जीवन में अनिवार्य है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई बच्चा अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की नींव स्वीकार करते हुए सरकार ने बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किये जिनमें प्रमुख हैं– दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986), आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति, (1990) जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति, (1992), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, (1994), मध्याह्न भोजन योजना, (1995) (संशोधित 2004) सर्व शिक्षा अभियान, (2001)।

इन सभी योजनाओं/आयोगों समितियों/कार्यक्रमों/अभियानों के अतिरिक्त अन्य प्रयासों द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा की दिशा और दशा सुधारने का भरसक प्रयास किया गया है। इन सभी प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इसी संदर्भ में सभी बच्चों को मध्याहन भोजन कार्यक्रम (विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम) के द्वारा निःशुल्क भोजन, पाठ्यपुस्तक एवं परिधान दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों और गरीब और पिछड़ी जातियों को छात्रवर्षत्ति भी दी जाती है।[3] साथ ही सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान भी दिया जाता है। जिसमें–बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन, बुनियादी शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित पेयजल, नैतिकता, सुरक्षित स्वच्छ विद्यालय कक्ष आदि बच्चों की खुशहाली एवं अधिकारों के लिए मुहैया कराये गए है।

प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय विचारधारा एवं चारित्रिक निर्माण की कुंजी है। यह मानव विकास के समस्त उपादानों में सर्वोत्तम है। यह मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह निर्विवाद तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा में ही राष्ट्रीय प्रगति निहित है। प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना अत्यन्त अनिवार्य होता है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि–''मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सारी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार भली–भांति शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।''



इसी परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा वह आधार शिला है जिस पर शिक्षा के भव्य एवं सुदृढ़ भवन का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का एक समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए इस शोध पत्र कें आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों तथा दूसरे शब्दों में बड़ों की जिम्मेदारी पर भी संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जिसके अन्तर्गत भारत में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादन करता हूं उसके उद्देश्य के आधार पर। मूलतः ये उद्देश्य भारतीय संविधान में दर्शाएं गये मूल्यों पर ही आधारित हैं। शिक्षा के ये उद्देश्य इस प्रकार है –

1. बच्चों में इस प्रकार के गुणों का विकास करना, जिससे कि वे स्वस्थ मानसिक जीवन जी सकें।
2. सीखने के आधारभूत तत्वों की जानकारी देना।
3. बच्चों के भौतिक मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सौन्दर्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके व्यक्तित्व का समेकित विकास करना।
4. बच्चों में राष्ट्रीय भावना जग्रत करना।
5. बच्चों में देश की स्वस्थ परम्पराओं और सांस्कर्षतिक विकास के प्रति आदर एवं स्नेह विकसित करना।
6. बच्चों में कर्तव्यनिष्ठा के भावों का विकास करना।
7. बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
8. बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना।
9. बच्चों को पर्यावरण से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना।
10. भाईचारे की भावना विकसित करना।
11. अन्तर्राष्ट्रीय भावों का विकास करना।
12. बच्चों में सभी धर्मों के प्रति सम्भाव विकसित करना।

उपर्युक्त क्रियाओं तथा अनुभवों के प्रावधानों द्वारा बच्चों को उच्च जीवन स्तर के लिए तैयार करना प्राथमिक कक्षा एवं अभिभावकों का महत्वपूर्ण दायित्व है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा स्तर अथवा नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान हैं, जिसमें बच्चों के लिए आवश्यक, ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि पांच वर्ष पूर्ण करने पर बच्चे की वाक्+शक्ति, स्नायविक विकास, ध्यान केन्द्रि करना, स्कूल सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। अतः प्राथमिक शिक्षा पांच वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् ही प्रारम्भ होती है। और आठ वर्षों तक अर्थात् चौदह वर्ष तक की आयु तक दी जाती है।[4]

अतः प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन भी समय पर होते रहे हैं। इन परिवर्तनों को एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा–व्यवस्था को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्मचेतना जाग्रत हो और उनकी क्षमताएँ प्रस्फुटित होकर, उन्हें राष्ट्र निर्माण के रूप में भावी सहयोगी बनने के योग्य बना सके।[5]

प्राथमिक शिक्षा में आज वर्तमान में भी कुछ समस्याएं ऐसी जिनका निदान ढूंढना अत्यन्त ही आवश्यक है। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत है कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। आज भी यहां के कुछ लोग शिक्षा के महत्व से अनजान है। इनमें से जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है रूढ़िवादी मान्यताएं, अपर्याप्त जानकारी जो कि भारतीय विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या है। परन्तु अभी भी भारत के अधिकांश राज्यों में, गुणवत्तों वाले शिक्षकों की कमी है। ऐसे अभी कई राज्य है जहां पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षक की कमी है। यदि शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित है तो वह छात्रों की मदद कर सकते है।[6] कम योग्य शिक्षक शिक्षण के स्तर को प्रभावित करते है। पूरे भारत में अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी कायम नहीं है। प्राथमिक शिक्षा–व्यवस्था में अनुशासन, समय की पाबंदी और प्रेरणा की कमी अभी भी देखने को मिलती हैं जिसको पूर्णरूप से नकारा नहीं जा सकता है। छात्रों को स्कूलों से उचित एवं पूर्ण शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव दीखता है जिसमें अभिभावक एवं अध्यापक दोनों की गैर जिम्मेदारी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। इसके अलावा भारत के कुछ प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में शिक्षण कौशल और योग्यता की कमी होती है, उन स्कूलों में शिक्षण के लिए एक अच्छे शिक्षक का चयन करने का कोई सुदृढ़ आधार नहीं होता, वास्तव में एक शिक्षक कई कक्षाओं एवं एक से अधिक विषयों को पढ़ाया है। जिस कारण से भी शिक्षा एवं शिक्षण में कुछ बाधाएं आ ही जाती है। इसी प्रकार कुछ शिक्षक भी इतने गूंगे और अनभिज्ञ होते है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों की सीखने की क्षमता में गिरावट आती है। प्राथमिक शिक्षा की समस्या में एक भयावह समस्या बाल मजदूरी की भी है क्योंकि ज्यादातर बच्चे विद्यालय से दूर इस कारण से भी हो जाते है कि उन्हें घरेलू कार्यों को करना पड़ता है।

शिक्षा का अधिकार 2009 सम्पूर्ण भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति विशेषतः 6–14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है यह भी मील का पत्थर साबित हो रहा है।



**निष्कर्ष :**

सम्पूर्ण अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के समीक्षात्मक अध्ययन के उपरान्त प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं के बावजूद आज वर्तमान में भी शहरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था उच्च ही है जबकि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण सन्तोषजनक नहीं है। जिसका कारण ग्रामीण समुदाय में जागरूकता की कमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**संदर्भ ग्रन्थ**

1. भारतीय संविधान एवं शासन, पृ0 क्र0 49.50.51।
2. वही, पृ0 क्र0 51
3. आर्युन्दु अखिलेश (2007) प्राथमिक शिक्षा और सरकारी कार्य योजना (कुरूक्षेत्र) अंक 11 पृ0 10–12
4. जे0सी0 अग्रवाल, भारत में प्राथमिक शिक्षा, पृ0 क्रं0 22
5. जे0पी0 नाइक, एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन इण्डिया–अ प्रामिस टू कीप पृ0 1
6. कोहली, वि0के0, भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएं, कृष्णा ब्रादर्स चॉक अड्डा टाण्डा, जालन्धर।

****